



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246841
CG-DL-E-27062023-246841

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ 6, 1945

No. 2672]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2792(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उन सेल्फ बालास्टिड एलईडी लैम्प को विनिर्दिष्ट करती है जो 3 वाट से 35 वाट तक क्षमता के हैं, जो सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज पर काम करते हैं और यह निर्देश देती है कि ऐसे किसी भी उपकरण या उपकरणों के वर्ग जो विनिर्माण या क्रय-विक्रय या बिक्री हेतु आयात किए जाते हैं, उनके लेबल पर विवरण इस तरह से संप्रदर्शित किए जाएंगे जैसे कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टिड एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), (संशोधन) विनियम 2023 में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 10/1/2023 - ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2792(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general lighting services having rated power from 3 watts to 35 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50 Hz for the purpose of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner, as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps), Regulations, 2023.

[F. No. 10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2793(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4097 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में, (i) "1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023" शब्दों और अंकों, दोनों स्थानों पर जहां ये आते हों के स्थान पर "1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (ii) सारणी 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी 3.2

1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026 तक विधिमान्य	
स्टार रेटिंग	प्रदीप्त दाता (लुमेन / वाट)
1*	≥90 और <105
2**	≥105 और <120
3***	≥120 और <135
4****	≥135 और <150
5*****	≥150

[फा. सं. 10/1/2023 - ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा का.आ. 2178 (अ) तारीख 01 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Power published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), (i) for the figures, letters and words “1st January, 2021 to 30th June, 2023”, occurring at both the places, the figures, letters and words “1st July, 2023 to 30th June, 2026” shall be substituted.

(ii) for the table 3.2, the following TABLE shall be substituted, namely:-

TABLE 3.2

Valid from 1st July, 2023 to 30th June, 2026	
Star rating	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
1*	≥90 and <105
2**	≥105 and <120
3***	≥120 and <135
4****	≥135 and <150
5*****	≥150

[F. No. 10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, and last amended S.O. 2178 (E) dated the 1st July, 2020.